अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/——/18, दिनांक : 10 दिसम्बर –2018,

–:: **आदेश** ::–

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक–2360/18 दिनांक 15.11.18 द्वारा दिनांक 17.12.18 से 22.12.18 के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम व पीठ–द्वितीय,नोएडा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–प्रथम नोएडा व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–द्वितीय नोएडा को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की गयी थी।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम नोएडा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति हो जाने के कारण उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए " **न्यायिक सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम नोएडा** " के स्थान पर "**न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम,लखनऊ** को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0–10.12.18

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/2487/2018, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम/द्वितीय नोएडा।

2–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम लखनऊ।

3–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4–मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्पयूटर) मुख्यालय।

5–सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।